साहित्य अकादमी

मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद्, भोपाल

मुल्ला रमूजी संस्कृति भवन, बाणगंगा चौराहा, भोपाल-462003

दूरभाष : (0755) 2554782, 2557942

प्रचलित वर्ष में प्रकाशित श्रेष्ठ मौलिक कृतियों पर पुरस्कार योजना

साहित्य अकादमी, मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद् द्वारा विभिन्न विधाओं में अखिल भारतीय और प्रादेशिक स्तर पर पुरस्कार योजना का संचालन करती है। हिंदी की कालजयी महान विभूतियों के नाम पर पाँच अखिल भारतीय पुरस्कार रुपये 51,000/- प्रति पुरस्कार और नौ प्रादेशिक पुरस्कार रुपये 31,000/- प्रति पुरस्कार अकादमी प्रतिवर्ष देती है।

अकादमी द्वारा विभिन्न विधाओं पर पुरस्कार देने के लिए विज्ञापन द्वारा पुस्तकें आमंत्रित की जाती हैं। विज्ञापन में दी गई तिथि को प्राप्त पुस्तकों पर ही पुरस्कार नियम और शर्तों के अधीन निर्धारित प्रक्रिया उपरांत श्रेष्ठ कृति पुरस्कार की घोषणा की जाती है। घोषणा उपरांत कृति पुरस्कारों का अलंकरण समारोह आयोजित किया जाता है, जिसमें रचनाकारों को श्रेष्ठ कृति सम्मान से अलंकृत किया जाता है।

पुरस्कारों के नाम एवं विषय निम्नानुसार हैं:—

(अ) अखिल भारतीय पुरस्कार — **विधा** — **प्रत्येक रु. 51,000/-**

1. पं. माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार – निबंध
2. गजानन माधव मुक्तिबोध पुरस्कार – कहानी
3. राजा वीरसिंह देव पुरस्कार – उपन्यास
4. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल पुरस्कार – आलोचना
5. पं. भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार – कविता

(ब) प्रादेशिक पुरस्कार — **प्रत्येक रु. 31,000/-**

1. पं. बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' पुरस्कार – उपन्यास
2. सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार – कहानी
3. श्रीकृष्ण सरल पुरस्कार – कविता
4. आचार्य नंददुलारे बाजपेयी पुरस्कार – आलोचना
5. हरिकृष्ण प्रेमी पुरस्कार – नाटक/एकांकी
6. राजेन्द्र अनुरागी पुरस्कार – व्यंग्य, ललित निबंध, आत्मकथा, संस्मरण, डायरी आदि
7. दुष्यंत कुमार पुरस्कार – प्रदेश के लेखक की पहली कृति
8. ईसुरी पुरस्कार – लोकभाषा विषयक
9. जहूर बख्श पुरस्कार – बाल साहित्य

निरंतर...2

साहित्य अकादमी

मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद्, भोपाल

मुल्ला रमूजी संस्कृति भवन, बाणगंगा चौराहा, भोपाल-462003

दूरभाष : (0755) 2554782, 2557942

email : sahityaacademy.bhopal@gmail.com

पुरस्कार के नियम एवं शर्तें

- अकादमी की पुरस्कार योजना में भाग लेने के लिए 01 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच प्रचलित वर्ष में प्रकाशित पुस्तक विज्ञापन में दी गई तिथि को शामिल की जा सकेंगी। पुस्तक का प्रथम प्रकाशन ही मान्य होगा, पश्चातवर्ती संस्करण मान्य नहीं होंगे।
- प्रादेशिक पुरस्कार प्रदेश के लेखक के लिए ही हैं। प्रदेश के लेखक का अर्थ है-लेखक का जन्म मध्यप्रदेश में हुआ हो या दस वर्षों से प्रदेश में रहते हुए रचनाकर्म किया हो। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र आवश्यक है।
- प्रादेशिक रचनाकार अपनी कृति प्रादेशिक एवं अखिल भारतीय दोनों के लिए भेज सकते हैं।
- जो रचनाकार अकादमी के अखिल भारतीय पुरस्कार से पुरस्कृत हो चुके हैं, उनकी कृति पर अगले पाँच साल तक विचार नहीं होगा। किन्तु जो रचनाकार प्रादेशिक पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, उनकी कृति पर केवल अखिल भारतीय पुरस्कार के लिए विचार किया जा सकेगा।
- भेजी गई पुस्तक पर लेखक/उत्तराधिकारी/प्रकाशक की लिखित सहमति अनिवार्य है।
- दुष्यंत कुमार पुरस्कार के लिए पहली कृति का घोषणा-पत्र लेखक को स्वयं देना होगा।
- पुरस्कार के लिए सिर्फ प्रकाशित पुस्तकें ही स्वीकार्य होंगी।
- प्रत्येक पुरस्कार के लिए पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, पूरा पता, प्रकाशन वर्ष, प्रेषक का नाम, टेलीफोन नम्बर के साथ हस्ताक्षरयुक्त पर्ची पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर चिपकाना अनिवार्य है।
- पुरस्कार प्रवृष्टि के लिए भेजी गईं पुस्तकें वापिस नहीं होंगी और न क्रय की जाएँगी।
- अकादमी द्वारा जारी किए गए विज्ञापन में पुस्तकें प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक ही पुस्तकें स्वीकार की जावेंगी। डाक की देरी अथवा पुस्तकें खो जाने के लिए अकादमी जिम्मेदार नहीं होगी।
- साहित्य अकादमी के प्रकाशन सहायता अनुदान से प्रकाशित पुस्तकें पुरस्कारों में शामिल नहीं की जा सकेंगी।
- प्रत्येक पुरस्कार के लिए पुस्तक की पाँच प्रतियाँ भेजनी होंगी। पैकेट पर पुरस्कार का नाम अवश्य लिखें। पुस्तकें निदेशक, साहित्य अकादमी, मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद्, मुल्ला रमूजी, संस्कृति भवन, बाणगंगा चौराहा, भोपाल-462003 के पते पर भेजें। जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाष 0755-2554782 पर बात कर सकते हैं।
- मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग के कर्मचारी पुरस्कार योजना में भाग नहीं ले सकेंगे।
- वर्ष 2013 के पुरस्कारों के लिए 01 जनवरी 2013 से 31 दिसंबर 2013 के बीच एवं वर्ष 2013 के पुरस्कारों के लिए 01 जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 2014 के बीच प्रकाशित पुस्तकें आमंत्रित हैं।
- विज्ञापन में पुस्तकें जमा करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2015 दी गई है, अब इसे बढ़ाते हुए 30 अगस्त 2015 कर दी गई है।
- पुरस्कार के सम्बन्ध में अकादमी का निर्णय अंतिम और मान्य होगा।

निदेशक
साहित्य अकादमी, भोपाल

साहित्य अकादमी

मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद्, भोपाल

मुल्ला रमूजी संस्कृति भवन, बाणगंगा चौराहा, भोपाल-462003

दूरभाष : (0755) 2554782, 2557942

पांडुलिपि अनुदान योजना

साहित्य अकादमी, मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद् द्वारा प्रदेश के लेखक की पहली मौलिक कृति के प्रकाशन के लिए पांडुलिपि प्रकाशन सहायता अनुदान योजना संचालित है। यह योजना सामान्य/पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निशक्तजनों के रचनाकारों के लिए अलग-अलग है।

पांडुलिपि अनुदान योजना के अंतर्गत अकादमी द्वारा प्रति पांडुलिपि 20,000/- (बीस हजार) का प्रकाशन सहायता अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान मेरिट के आधार पर 20 सामान्य/पिछड़े वर्ग की पांडुलिपियों और 20 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निशक्त श्रेणी के रचनाकारों को पांडुलिपि अनुदान के नियम एवं शर्तों के अधीन अकादमी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया उपरांत प्रतिवर्ष दिया जाता है। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/निशक्त श्रेणी के उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर सामान्य/पिछड़े वर्ग के रचनाकारों को इसका लाभ दिया जा सकेगा।

पाण्डुलिपि प्रकाशन सहायता अनुदान के नियम एवं शर्तें

- प्रदेश के सामान्य वर्ग के रचनाकारों की आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आयु प्रमाण-पत्र आवश्यक है। (आयु प्रमाण के रूप में जन्मतिथि युक्त मार्कशीट लगा सकते हैं) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और निशक्तजनों के रचनाकारों के लिए आयु बंधन नहीं है। सक्षम अधिकारी का जाति प्रमाण-पत्र आवश्यक है।
- प्रकाशन सहायता अनुदान के लिए विज्ञापन द्वारा पांडुलिपि आमंत्रित की जाती है। विज्ञापन में दी गई तिथि के अंदर पांडुलिपि की एक प्रति टंकित-स्पायरल वाइंडिंग में ही स्वीकार की जाती है।
- यह योजना केवल मध्यप्रदेश के रचनाकारों के लिए है। इसलिए सक्षम अधिकारी का मूल निवास प्रमाण-पत्र आवश्यक है। मध्यप्रदेश से आशय मध्यप्रदेश में जन्म एवं निवास से है।
- पांडुलिपि के साथ लेखक को यह घोषणा-पत्र देना होगा कि यह मेरी पहली पांडुलिपि है, इसके पूर्व मेरी कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है।
- पांडुलिपि जमा करने की अंतिम तिथि तक प्राप्त न होने, डाक की देरी अथवा खो जाने के लिए अकादमी जिम्मेदार नहीं होगी।

क्रमशः.....2

- पांडुलिपियों के परिणाम घोषित होने के बाद अस्वीकृत मूल पांडुलिपि रचनाकार को वापिस की जाएगी। वापिस की गई पांडुलिपि के संबंध में कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जा सकेगा।
- अकादमी की निर्धारित प्रक्रियानुसार पांडुलिपि अनुदान के संबंध में अकादमी का निर्णय अंतिम और मान्य होगा।
- अकादमी द्वारा स्वीकृति पत्र मिलने पर पाण्डुलिपि को अंतिम रूप देकर प्रकाशन के पूर्व पुस्तक की डमी अंतिम परीक्षण के लिए अकादमी को भेजेंगे। अकादमी के अंतिम परीक्षण के बाद ही आप पुस्तक प्रकाशन के लिए प्रकाशक को भेजेंगे।
- पाण्डुलिपि को अंतिम रूप देते हुए यह ध्यान रखेंगे कि पाण्डुलिपि में कोई रचना ऐसी न जाए जिससे अकादमी, शासन, राजनैतिक पार्टी एवं किसी व्यक्ति अथवा वर्ग को ठेस पहुँचे अथवा समर्थन हो।
- पाण्डुलिपि के प्रकाशन में लेखक अपने विवेकानुसार प्रकाशक से अनुबंध कर सकते हैं। इससे अकादमी का कोई सम्बन्ध नहीं होगा।
- पुस्तक के अंदर के प्रथम पृष्ठ में '**साहित्य अकादमी, मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद्, संस्कृति विभाग, भोपाल के सहयोग से प्रकाशित**' अवश्य लिखेंगे।
- पुस्तक अकादमी के सहयोग से प्रकाशित हो रही है, इसलिए आवश्यक है कि अकादमी की गरिमा के अनुकूल पुस्तकों का प्रकाशन होना चाहिए।
- पुस्तक के प्रकाशन का काम आपको अकादमी द्वारा दी गई तिथि तक आवश्यक रूप से कराना होगा। प्रकाशन के बाद नियमानुसार पुस्तक की 75 प्रतियाँ अकादमी कार्यालय में नि:शुल्क जमा करने के बाद ही अनुदान राशि का चेक लेखक अपने नाम से प्राप्त कर सकेंगे। पुस्तकें पाठकमंच केंद्रों को भेजी जाएँगी।
- वर्ष 2013 एवं वर्ष 2014 की पांडुलिपि योजना के अंतर्गत पांडुलिपि प्रकाशन सहायता अनुदान के लिए पांडुलिपियाँ आमंत्रित हैं।
- विज्ञापन में पांडुलिपि जमा करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2015 दी गई है, अब इसे बढ़ाते हुए 30 अगस्त 2015 कर दी गई है।
- अकादमी की निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पांडुलिपि प्रकाशन सहायता अनुदान देने के मामले में निदेशक, साहित्य अकादमी का अंतिम निर्णय मान्य होगा।

निदेशक
साहित्य अकादमी, भोपाल